

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

सी आई एन / CIN : L32309KA1954GO1000787

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045

Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2022 को सुबह 10 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार-

- निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु -
 - 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; और
 - 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 3.00 (300%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना और ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.50 (150%) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना।
- श्री राजशेखर एम वी (डीआईएन-08850171) जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष कारोबार-

- डॉ पार्थसारथी पी वी (डीआईएन-06400408) की निदेशक के रूप में नियुक्ति
निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -
"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों)

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 68th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Tuesday, 30 August 2022, at 10:00 a.m (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To consider and adopt:
 - the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2022 and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon; and
 - the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2022 and the reports of Auditors thereon.
- To confirm the payment of interim dividend of ₹ 3.00 (300%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 1.50 (150%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2021-22.
- To appoint a Director in place of **Mr Rajasekhar M V** (DIN:08850171), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

- Appointment of Dr Parthasarathi P V (DIN:06400408) as Director.**
To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**
"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory

या पुनःअधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में डॉ पार्थसारथी पी वी (डीआईएन-06400408), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ पार्थसारथी पी वी (डीआईएन-06400408) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

5. श्री मनसुखभाई एस खचारिया (डीआईएन-01423119) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःअधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में श्री मनसुखभाई एस खचारिया (डीआईएन-01423119), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री मनसुखभाई एस खचारिया (डीआईएन-01423119) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Dr Parthasarathi P V (DIN:06400408), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Parthasarathi P V (DIN:06400408) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

5. Appointment of Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN:01423119) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN:01423119), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN:01423119) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

6. श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन-00871919) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःअधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन-00871919), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन-00871919) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

7. डॉ. शिवनाथ यादव (डीआईएन-09450917) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःअधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में डॉ. शिवनाथ यादव (डीआईएन-09450917), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ. शिवनाथ यादव (डीआईएन-09450917) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

6. Appointment of Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN:00871919) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN:00871919), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN:00871919) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

7. Appointment of Dr Shivnath Yadav (DIN:09450917) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Dr Shivnath Yadav (DIN:09450917), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Shivnath Yadav (DIN:09450917) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

8. डॉ संतोषकुमार एन (डीआईएन-09451052) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

“**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में डॉ संतोषकुमार एन (डीआईएन-09451052), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ संतोषकुमार एन (डीआईएन-09451052) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

9. श्री गोकुलन बी (डीआईएन-09473378) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

“**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में श्री गोकुलन बी (डीआईएन-09473378), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 10 जनवरी 2022 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 20 जनवरी, 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री गोकुलन बी (डीआईएन-09473378) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

8. Appointment of Dr Santhoshkumar N (DIN:09451052) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Dr Santhoshkumar N (DIN:09451052), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Santhoshkumar N (DIN:09451052) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

9. Appointment of Mr Gokulan B (DIN:09473378) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr. Gokulan B (DIN:09473378), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 10 January 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 20 January 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr. Gokulan B (DIN:09473378) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

10. श्रीमती श्यामा सिंह (डीआईएन-09495164) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःअधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में श्रीमती श्यामा सिंह (डीआईएन-09495164), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 28 जनवरी 2022 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 07 फरवरी, 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्रीमती श्यामा सिंह (डीआईएन-09495164) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

11. श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन-09578183) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -:

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःअधिनियमन सहित) के अनुक्रम में श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन-09578183), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/4/2020-डी(बीईएल) दिनांक 20 अप्रैल 2022 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निदेशक (अन्य यूनिट) के रूप में नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 20 अप्रैल, 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (अन्य यूनिट) के रूप में नामित किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन- 09578183) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे”

10. Appointment of Mrs Shyama Singh (DIN:09495164) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mrs. Shyama Singh (DIN:09495164), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 28 January 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 7 February 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mrs. Shyama Singh (DIN:09495164), as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India”.

11. Appointment of Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN:09578183) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN:09578183), who was appointed as Director (Other Units) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/4/2020-D(BEL) dated 20 April 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Other Units) w.e.f 20 April 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN:09578183) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India”.

12. डॉ. बिनोय कुमार दास (डीआईएन-09660260) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -:

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुक्रम में डॉ. बिनोय कुमार दास (डीआईएन-09660260), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19(1)/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 जून 2022 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 4 जुलाई 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ. बिनोय कुमार दास (डीआईएन-09660260) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे”

13. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनः प्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बंगलूरु (एलएलपिन- एएबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को ₹ 3,50,000/- (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती होंगे”

14. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि।

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, जिन्हें उनके तहत बनाए गए

12. Appointment of Dr Binoy Kumar Das (DIN: 09660260) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Dr Binoy Kumar Das (DIN:09660260), who was appointed as Part-time Official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19(1)/2020-D(BEL) dated 23 June 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 4 July 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Binoy Kumar Das (DIN:09660260) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India”.

13. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the members of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 3,50,000 (Rupees three lakh fifty thousand only) plus applicable taxes to M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2023.”

14. Increase in Authorised Share Capital of the Company.

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 61 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share

कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 (वर्तमान में लागू उनके किसी सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को विद्यमान ₹ 250,00,00,000 (₹ दो सौ पचास करोड़ मात्र) जिसे ₹ 1 (₹ एक मात्र) प्रत्येक के 250,00,00,000 (दो सौ पचास करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है, से ₹ 1 (₹ एक मात्र) प्रत्येक के अतिरिक्त 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़ मात्र) इक्विटी शेयर सृजित करते हुए ₹ 750,00,00,000 (₹ सात सौ पचास करोड़ मात्र) जिसे ₹ 1 (₹ एक मात्र) प्रत्येक के 750,00,00,000 (सात सौ पचास करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है, में वृद्धि की जाए और एतद्वारा वृद्धि की जाती है जो कंपनी के मौजूदा शेयरों के साथ सममात्रा में श्रेणीकृत होंगे”

15. संस्था के बहिर्नियमों में पूंजी खंड का परिवर्तन

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और 61 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू उनके किसी सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित) के तारतम्य में, कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों के खंड V में परिवर्तन किया जाए और एतद्वारा परिवर्तन किया जाता है और उसे निम्नलिखित से स्थानापित किया जाता है -

V. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 750,00,00,000 (₹ सात सौ करोड़ मात्र) है, जो वर्तमान में कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों में किए जा सकने वाले प्रावधान के अनुसार उनमें संलग्न किए जाने वाले अधिकारों, विशेषाधिकारों और शर्तों के साथ, कंपनी की पूंजी में वृद्धि या कमी करने की शक्ति के साथ तथा वर्तमान में कंपनी के शेयरों को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए और उन्हें कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों द्वारा या उनके अनुसार यथा निर्धारित, क्रमशः ऐसे अधिमान, आस्थगित, गारंटीकृत, अर्हताप्राप्त या विशेष अधिकारों को संलग्न करने तथा ऐसी विधि से ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों या शर्तों में परिवर्तन, संशोधन, समामेलित या निराकृत करने जो वर्तमान में कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान अनुसार हैं, के साथ रु. 1 (₹ एक मात्र) के 750,00,00,000 (सात सौ करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित किए गए हैं।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को समुचित प्राधिकारियों के पास आवश्यक फार्म / दस्तावेज दाखिल करने तथा ऐसे सभी विलेखों, दस्तावेजों, लिखतों तथा लिखित सामग्री को निष्पादित करने जो उसके एकमात्र और अनन्य विवेक के अनुसार आवश्यक और उचित माना जाता है या ऐसे प्रश्न, कठिनाई या संदेश का निराकरण करने के लिए जो इसके संबंध में पैदा हो सकता है तथा यहां इसमें प्रदत्त सभी या किसी एक शक्ति को इसके निदेशकों, कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य

Capital and Debentures) Rules, 2014 framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the Authorised Share Capital of the Company be and is hereby increased from the existing ₹ 250,00,00,000 (Rupees two hundred fifty crore only) divided into 250,00,00,000 (Two hundred fifty crore) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each to ₹ 750,00,00,000 (Rupees seven hundred fifty crore only) divided into 750,00,00,000 (Seven hundred fifty crore) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each by creation of additional 500,00,00,000 (Five hundred crore only) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each which shall rank pari-passu with the existing shares of the Company.

15. Alteration of the Capital Clause in the Memorandum of Association.

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as a **Special Resolution:**

“**RESOLVED THAT,** pursuant to the provisions of Sections 13 and 61 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered and substituted by the following:

V. The authorised Share Capital of the Company is ₹ 750,00,00,000 (Rupees seven hundred and fifty crore only) divided into 750,00,00,000 (Seven hundred and fifty crore only) equity shares of ₹1 (Rupees one only) each with the rights, privileges and conditions attaching thereto as may be provided by the Articles of Association of the Company for the time being, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares in the Capital for the time being into several clauses and to attach thereto respectively such preferential, deferred, guaranteed, qualified or special rights, privileges and conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company and to vary, modify, amalgamate or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things including filing of necessary forms/documents with the appropriate authorities and to execute all such deeds, documents, instruments and writings as it may in its sole and absolute discretion deem necessary or expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard

अधिकारी को प्रत्यायोजित करने सहित ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

16. बोनस शेयर जारी करने के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 तथा अन्य लागू प्रावधान, जिन्हें कंपनी (शेयर पंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 14 (वर्तमान में लागू उनके किसी सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, और सेबी (पूजी जारी करना तथा प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों तथा यथा आवश्यक लागू विनियामक प्राधिकारियों की सहमति सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अधीन तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के संबंधित प्रावधानों तथा कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे यहां इसके बाद 'मंडल' कहा गया है जिसके अर्थ में मंडल की ओर से उसके द्वारा विधिवत् गठित या प्राधिकृत निदेशकों की समिति शामिल मानी जाएगी) की सिफारिशों के तारतम्य में, और इस संबंध में यथा आवश्यक अनुमति, स्वीकृति और अनुमोदनों के अधीन, कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरधारक जिनके नाम सदस्यों द्वारा धारित ₹ 1 (रु. एक मात्र) प्रत्येक के मौजूदा प्रत्येक 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए ₹ 1 (रु. एक मात्र) पूर्ण चुकता के 2 (दो) इक्विटी शेयर के अनुपात में, मंडल द्वारा इस संबंध में तय की गई रिकार्ड तारीख पर, नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से यथा प्राप्त, कंपनी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर / हितलाभी स्वामियों की सूची में दर्शित होते हैं, को पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के रूप में जारी / क्रेडिट करने के लिए ₹ 1 (रु. एक मात्र) प्रत्येक का बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रयोजनार्थ, मंडल द्वारा आवश्यक समझे गए अनुसार, ₹ 4,87,31,85,886 (रु. चार सौ सतासी करोड़ इकतिस लाख पचासी हजार आठ सौ छियासी मात्र) जो कंपनी की मुक्त आरक्षण निधि और अधिशेष में जमा है, के पूंजीकरण के लिए मंडल को कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि बोनस शेयरों के रूप में इस प्रकार आबंटित इक्विटी शेयर कंपनी के मौजूदा पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से सममात्रा शेयर होंगे और कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों के प्रावधानों के अधीन होंगे।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि बोनस शेयरों के लिए ऐसे आबंटितों को कोई आबंटन पत्र जारी नहीं किए जाएंगे जो अपने मौजूदा इक्विटी शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करते हैं क्योंकि बोनस शेयर

thereto and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company.”

16. Approval for the Issue of Bonus Shares.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 63 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with Rule 14 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to the regulations and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), including the provisions of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (as amended from time to time) and consent of applicable regulatory authorities as may be required and pursuant to the relevant provisions of Articles of Association of the Company and the recommendation of the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as 'the Board', which expression shall be deemed to include a Committee of Directors duly constituted or authorised by the Board in this behalf), and subject to such permissions, sanctions and approvals as may be necessary in this regard, consent of the Members of the Company be and is hereby accorded to the Board for capitalisation of ₹ 4,87,31,85,886 (Rupees four hundred eighty seven crore thirty one lakh eighty five thousand and eight hundred eighty six only) standing to the credit of the free reserves and surplus of the Company, as may be considered necessary by the Board, for the purpose of issuance of Bonus Equity Shares of ₹ 1 (Rupee one only) each to be issued/credited as fully paid-up Equity Shares to the holders of the existing Equity Shares of the Company, whose names appear in the Register of Members maintained by the Company/List of Beneficial Owners, as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on such record date as may be fixed in this regard by the Board, in the proportion of 2 (two) Equity Shares of ₹ 1 (Rupee one only) each fully paid-up for every 1 (one) existing Equity Share of ₹ 1 (Rupee one only) each held by the Members, i.e. in the ratio of 2:1 (two bonus equity shares for every one equity share held).

RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares so allotted as bonus shares, shall rank pari-passu in all respects with the existing fully paid-up Equity Shares of the Company and shall be subject to the provisions of Memorandum and Articles of Association of the Company.

निर्धारित अवधि में या समय-समय पर इस आशय के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उनके संबंधित डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरधारकों को जो अपने मौजूदा इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारित करते हैं, बोनस शेयर से संबंधित शेयर प्रमाण-पत्र पूरे किए जाएंगे और उसके बाद निर्धारित अवधि में या समय-समय पर इस आशय के लिए निर्धारित अवधि के भीतर प्रेषित किए जाएंगे।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि उक्त बोनस शेयरों का जारी और आबंटित करना जहां तके वे अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) / विदेशी कॉर्पोरेट निकायों (ओसीबी) तथा कंपनी के अन्य विदेशी निवेशकों से संबंधित हैं, विदेशी मुद्रा-विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और समय-समय पर उनके तहत बनाए गए विनियमों तथा यथा अपेक्षित एवं आवश्यक किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुमोदन के अधीन होगा।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, में बोनस शेयरों के सूचीकरण के लिए आवेदन करने हेतु तथा आबंटितों को उनके संबंधित डिपोजिटरी खातों में बोनस शेयर जमा करने के लिए नेशनल सेक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) में आवश्यक आवेदन करने के लिए और यहां इसके द्वारा अपने निदेशकों, कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त सभी या किसी एक शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि मंडल को उक्त संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी अन्य उपाय करने तथा मंडल द्वारा अपने अनन्य विवेक पर उपयुक्त पाए जाने पर बोनस शेयर जारी करने संबंधी अन्य सभी निबंधन व शर्तें तय करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

बंगलूरु
4 अगस्त, 2022

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

Bengaluru
4 August 2022

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

- कोविड-19 की महामारी के कारण सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, नवीनतम परिपत्र सं.2/2022 दिनांक 5 मई 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (जिन्हें यहाँ इसके बाद संयुक्त रूप से “परिपत्र” कहा गया है), और इससे संबंधित अन्य लागू परिपत्र द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”), सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (“सूचीकरण विनियम”) और परिपत्रों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 68वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560045 माना जाएगा।
- चूंकि एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है।
- वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी।
- इन परिपत्रों के अनुपालन में, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपॉजिटारियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान सुविधा और ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. (“आरटीए”) के पास एजीएम की सूचना, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 भेजने के प्रयोजनार्थ लिंक <https://www.integratedindia.in/emailupdatation.aspx> पर क्लिक करते हुए अस्थायी रूप से दर्ज कराएँ / अपडेट कर लें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य एजीएम

NOTE

- In view of continuing social distancing norms due to Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020, the latest being 2/2022 dated 5 May 2022 and Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated 13 May 2022 (hereinafter collectively referred to as “the Circulars”), and other applicable circulars issued in this regard, have permitted the companies to conduct AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) till 31 December 2022, without physical presence of Members at a common venue. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“the Act”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) and the Circulars, the 68th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company, Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560045.
- Since the AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form and Attendance Slip is not annexed to this Notice.
- Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) at www.evotingindia.com.

Members who have not registered their e-mail address are requested to temporarily register/update their e-mail address and mobile number with Company's Registrar and Transfer Agent M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. (“the RTA”), by clicking the link: <https://www.integratedindia.in/emailupdatation.aspx>

की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 भेजने के लिए, अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्व-अनुप्रमाणित पैन कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेरर प्रमाण-पत्र की कॉपी प्रदान करते हुए विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ-साथ अपने अनुरोध कंपनी के आरटीए को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेज सकते हैं।

5. कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति / एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपनी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में रिमोट ई-मतदान या मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं। एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कार्पोरेट / संस्थागत सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्कूटिनाइजर को मंडल के संकल्प / प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति gthirupal@gmail.com पर भेजें और इसकी प्रति अधिनियम की धारा 113 के तारतम्य में, बैठक में उनकी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए कंपनी पंजीयक और अंतरण एजेंट (आरटीए) मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेजें।
 6. ऊपर बताए गए अनुसार विशेष कारोबार के संबंध में अधिनियम की धारा 102(1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सूचीकरण विनियमों के विनियम 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के तहत यथा अपेक्षित, एजीएम में नियुक्ति या पुनःनियुक्त चाहने वाले निदेशकों के विवरण भी संलग्न है जो इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।
 7. कंपनी की सदस्यों की पंजी और शेरर अंतरण बहियां 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भुगतान करने के लिए सदस्यों की हकदारिता तय करने के प्रयोजनार्थ गुरुवार, 11 अगस्त, 2022 से लेकर रविवार, 14 अगस्त, 2022 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रखी जाएगी।
 8. निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेरर पर ₹ 3.00 (300%) प्रति इक्विटी शेरर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अदा किया गया। जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों को दोबारा विधिमन्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने दिनांक 23 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के प्रति ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेरर पर ₹ 1.50/- (150%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2021-22 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों
5. Corporate/ Institutional Members (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and cast votes through remote e-voting or voting at the AGM. Corporate/ Institutional Members intending to authorize their representatives to participate and vote at the AGM are requested to send a certified copy of the Board Resolution / Authorization letter (PDF/JPG format) to the Scrutiniser through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in, authorizing its representative(s) to attend the AGM through VC/OAVM and cast vote on their behalf, pursuant to section 113 of the Act.
 6. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Details of Directors seeking appointment or re-appointment at the AGM, as required under Regulation 36(3) of the Listing Regulations and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, are also annexed and forms part of the Notice of this meeting.
 7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Thursday, 11 August, 2022 to Sunday, 14 August, 2022** (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of Members for the payment of dividend for the financial year ended 31 March 2022, if declared at the AGM.
 8. The Board of Directors has declared an interim dividend of ₹ 3.00 (300%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid for the financial year 2021-22. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/ DDs may approach RTA of the Company for revalidating the expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 23 May 2022, has recommended a final dividend of ₹ 1.50 (150%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid. The Final Dividend for the year 2021-22, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration, to

के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम **10 अगस्त 2022** को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियल रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपॉजिटरियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार **10 अगस्त 2022** को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

9. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश वारंट मुद्रित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे सदस्य जो अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करना / बदलना चाहते हैं, वे एमआईसीआर कोड सहित बैंक खाते के संपूर्ण विवरण के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में अपने संबंधित डी.पी. को सूचित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को निरस्त किया गए बैंक के साथ अपने बैंक विवरण भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / बैंक उनके दर्ज पत्तों पर भेजे जाएंगे। लाभांश वारंटों / डीडी की धोखाधड़ी से नकदीकरण करने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करा लें।

10. सेबी ने 31 मार्च 2023 तक वास्तविक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन जमा करने और 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए अपने परिपत्र दिनांक 3 नवंबर, 2022 और 15 दिसंबर 2021 को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, कंपनी ने अपने पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण आदि प्रस्तुत करने के लिए वास्तविक रूप में कंपनी के शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र भेजे हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए में अपना पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण जमा करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों को जमा करें। इसे अद्यतन करने के लिए प्रपत्र <https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MIId=17&CIId=2505&LIId=1&link=2505> और https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA में उपलब्ध है।

यदि वास्तविक प्रतिभूतियों का धारक उपर्युक्त दिनांक से पहले इन विवरणों को प्रस्तुत करने या अपने पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहता है, तो आरटीए ऐसे फोलियो को निश्चल करने के लिए बाध्य है। निश्चल फोलियो में प्रतिभूतियों का भुगतान (लाभांश सहित) प्राप्त करना और शिकायत दर्ज करना संपूर्ण द्वावेज प्रस्तुत करने के बाद ही होगा। यदि दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक प्रतिभूतियाँ निश्चल रहती हैं, तो आरटीए/कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1998 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on **10 August 2022** in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on **10 August 2022** as per the details furnished by the depositories.

9. Members holding shares in electronic mode may note that bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for printing on dividend warrants. Members who wish to update/change their bank account details may advise their respective DPs about such change with complete details of bank account including MICR Code. Members holding shares in physical form may send their bank details along with cancelled cheque to Company's RTA. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to their registered addresses. In order to provide protection against fraudulent encashment of dividend warrants/DDs, shareholders are requested to update their Bank account details with their respective Depository Participants (DPs).

10. SEBI has mandated the submission of PAN, KYC details and nomination by holders of physical securities by 31 March 2023, and linking Pan with Aadhaar by 31 March 2022 vide its circular dated 3 November 2022 and 15 December 2021. Accordingly, the company has sent individual letters to all the Members holding shares of the Company in physical form for furnishing their PAN, KYC and nomination details etc. Shareholders are requested to submit their PAN, KYC and nomination details to the Company's RTA. Members holding shares in electronic form are requested to submit PAN, KYC and nomination details to their respective Depository Participant(s). The forms for updating the same are available at <https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MIId=17&CIId=2505&LIId=1&link=2505> and at https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA

In case a holder of physical securities fails to furnish these details or link their PAN with Aadhaar before the due date as mentioned above, RTA is obligated to freeze such folios. The securities in the frozen folios shall be eligible to receive payments (including dividend) and lodge grievances only after furnishing the complete documents. If the securities continue to remain frozen as on 31 December 2025, the RTA/the Company shall refer such securities to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1998, and/or the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

11. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अब तक अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसे अपने डीपी के पास दर्ज करा लें यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं और यदि उनके द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयर किए जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास दर्ज कराएँ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक का पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), आदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना अपने संबंधित डी.पी. को, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए हों, और कंपनी के आरटीए में. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को, यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित किए हों, को दें। सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण, लाभांश की प्राप्ति और अन्य सेवाओं के लिए बैंक खाते के विवरण का अद्यतन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाए।

11. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Company's RTA in case the shares are held by them in physical form.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code etc., to their respective DPs, in case the shares are held by them in electronic form and to the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003, in case the shares are held by them in physical form. Members may follow the process detailed below for registration of email ID to obtain the notice of the AGM and Annual Report, updation of bank account details for the receipt of dividend and other services.

धारक का प्रकार	प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है
भौतिक	निम्नलिखित निवेशक सेवाएं प्राप्त करने के लिए, कंपनी के आरटीए, इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित प्रारूप में लिखित अनुरोध डाक द्वारा नं. 30, रमणा रेसीडेन्सी, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को भेजें।
	भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए पैन, ईमेल एड्रेस, बैंक के विवरण तथा अन्य केवाईसी विवरण या उनमें परिवर्तन / अद्यतन सूचना दर्ज करने संबंधी निवेशक सेवाएं प्राप्त करने का फार्म
	फॉर्म आईएसआर-1
	प्रतिभूति धारक का हस्ताक्षर अद्यतन करना
	फॉर्म आईएसआर-2
	कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 19 में बताए गए अनुसार नामांकन के लिए
	फॉर्म एसएच-13
	विकल्प लेने की घोषणा
	फॉर्म आईएसआर-3
	धारक द्वारा नामांकन रद्द करना (आईएसआर-3 के साथ) / नामिती का परिवर्तन
	फॉर्म एसएच-14
	डुप्लिकेट प्रमाण-पत्र जारी करने तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों / ऋणपत्रों / बांड आदि के लिए अन्य सेवा अनुरोधों का फॉर्म
	आईएसआर 4

Type of holder	Process to be followed
Physical	For availing the following investor services, send a written request in the prescribed forms to the RTA of the Company, Integrated Registry Management Services Private Limited by post to No.30, Ramana Residency, 4 th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003.
	Form for availing investor services to register PAN, email address, bank details and other KYC details or changes / update thereof for securities held in physical mode
	Form ISR-1
	Update of signature of securities holder
	Form ISR-2
	For nomination as provided in the Rules 19 (1) of Companies (Share capital and debenture) Rules, 2014
	Form SH-13
	Declaration to opt out
	Form ISR-3
	Cancellation of nomination by the holder(s) (along with ISR-3) / Change of Nominee
	Form SH-14
	Form for requesting issue of Duplicate Certificate and other service requests for shares / debentures / bonds, etc., held in physical form
	ISR 4

धारक का प्रकार	प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है
	उक्त विवरण / सेवा अनुरोध अद्यन करने के फॉर्म यहां उपलब्ध हैं https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 और https://www.integratedindia.in/Corporate.Container.aspx?RTI/STA
डीमैट	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल एड्रेस, केवाईसी विवरण, अद्यतन हस्ताक्षर, नामांकन/ नामांकन का रद्दीकरण, बैंक खाता के विवरण दर्ज करें।

12. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि लाभांश का नकदीकरण कंपनी के अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख से निरंतर 7 वर्षों की अवधि तक नहीं किया जाता है तो ऐसे लाभांश निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि ("आईईपीएफ") को अंतरित किए जाएंगे। ऐसे दावा न किए गए लाभांश से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। जिन सदस्यों के दावा न किए गए लाभांश / शेयर आईईपीएफ को अंतरित किया गया है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फार्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करते हुए उसका दावा कर सकते हैं।

वर्ष 2014-15 का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2015-16 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2022-23 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किया जाना है। कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2022 को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दिया है। अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में अपलोड किए गए हैं। दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए के साथ पत्राचार करें।

13. सूचीकरण विनियम, यथा संशोधित, के विनियम 40 के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के नए अंतरण अनुरोध स्वीकार करना बंद कर दिया था। कंपनी के शेयर भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर अमूर्तीकरण के निहित अनुलाभ प्राप्त करने के लिए डीमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करा लें।

इसके अलावा, सदस्य ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25 जनवरी 2022 द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह आज्ञापक बनाया है कि वे किसी भी सेवा अनुरोध पर कार्यवाही करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करें जैसे डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाण-पत्र जारी करना, अदावी निलंबन खाते का नवीकरण / प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का विनियम संबंधी दावा, पृष्ठांकन, प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का उप-विभाजन / विभक्तीकरण,

Type of holder	Process to be followed
	The forms for updating the above details/service request are available at https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 and https://www.integratedindia.in/Corporate.Container.aspx?RTI/STA
Demat	Please contact your DP and register your email address, KYC details, update of signature, nomination/ Cancellation of nomination, bank account details etc in your demat account, as per the process advised by your DP.

12. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF'). The shares in respect of such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/ shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an application to the IEPF Authority in Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

The unclaimed/unpaid final dividend for the year 2014-15 and interim dividend for the year 2015-16 are due for transfer to IEPF during the financial year 2022-23. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31 March 2022 on the website of the Company www.bel-india.in. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company www.bel-india.in. Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the RTA.

13. In accordance with Regulation 40 of the Listing Regulations, as amended, the Company had stopped accepting any fresh transfer requests for securities held in physical form. Members holding shares of the Company in physical form are requested to kindly get their shares converted into demat/electronic form to get inherent benefits of dematerialization.

Further, Members may please note that SEBI vide its Circular dated 25 January 2022 mandated listed companies to issue securities in demat form only while processing any service requests viz. issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense

प्रतिभूति प्रमाण-पत्रों / फोलियो का समेकन, पारोषण और प्रतिस्थापन। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करते हुए सेवा अनुरोध करें जिसका प्रारूप <https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505> और https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA में उपलब्ध है।

14. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी होगी। विभिन्न वर्गों की निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें। कंपनी को उचित टीडीएस तय करने / कर दर लागू करना रोक रखने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 24 अगस्त, 2022 से पहले <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> में कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करा लें। उसके बाद कर निर्धारण / कटौती के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित करते हों) और डिपॉजिटरी (यदि शेयर डीमैट माध्यम में धारित किए हों) में अपने पैस को अद्यतन करा लें।
15. जो सदस्य एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले खतों या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे secretary@bel.co.in पर ईमेल द्वारा एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को इस बारे में लिखें। इस पर कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
16. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 में बताए गए अनुसार फार्म एसएच-13 में किसी भी व्यक्ति जिन्हें कंपनी में उनके शेयर फार्म में उल्लिखित घटना घटने पर निहित होंगे, को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन का विकल्प लेना चाहते हैं या उसे रद्द करना चाहते हैं और नया नामांकन दर्ज कराना चाहते हैं वे फॉर्म आईएसआर-3 या फॉर्म एसएच-14, जैसा मामला हो, में जमा करा सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को डुप्लिकेट में फार्म संख्या- एसएच-13 दे सकते हैं। शेयरों को अमूर्त रूप में धारित करने पर नामांकन संबंधित डीपी में दर्ज कराना होगा।
17. कंपनी ने 68वीं एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या अपनी सुरक्षित लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए <https://www>.

Account renewal/exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR-4, the format of which is available at <https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505> and at https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA

14. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1 April 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, Members are requested to upload the requisite documents with the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> on or before 24 August 2022. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained thereafter. The shareholders are requested to update their PAN with the Company / Company's RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).
15. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company at least 7 days before that date of AGM through e-mail at secretary@bel.co.in. The same will be suitably replied by the Company.
16. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form SH-13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination he/she may submit the same in Form ISR-3 or Form SH-14 as the case may be. Persons holding shares in physical form may send Form No. SH-13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.
17. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to provide Video Conferencing

evotingindia.com की ई-मतदान वेबसाइट पर लॉग इन कर एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकेंगे।

18. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -

- क. बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों की ही तरह है।
- ख. बैठक में शामिल होने के लिए वीसी / ओएवीएम का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
- ग. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपैड से बैठक में शामिल हों। इसके अलावा, शेयरधारकों को अपने लैपटॉप / आईपैड के कैमरा चालू रखना होगा और बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करना होगा।
- घ. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में परिवर्तन के कारण ऑडियो / वीडियो का व्यवधान हो सकता है। इसलिए, सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें।
- ङ. सदस्य इस सूचना में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- च. वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ - पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। बृहद् शेयरधारकों (जहाँ शेयरधारकों की शेयरधारिता 2% या उससे अधिक है), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और पणधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखा परीक्षकों आदि के लिए एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- छ. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे 14 अगस्त, 2022 (सुबह 9.00 बजे आई.एस.टी.) से 21 अगस्त, 2022 (शाम 5 बजे आई.एस.टी.) तक secretary@bel.co.in में कंपनी को ईमेल भेजते हुए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत

facility for the 68th AGM of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of the AGM by logging on the e-voting website of <https://www.evotingindia.com> using their secure login credentials.

18. Instructions for the Members for attending the AGM through VC/OAVM:

- a. The procedure for attending meeting is same as the instructions mentioned below for remote e-voting.
- b. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned below for remote e-voting.
- c. Shareholders are requested to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience. Further shareholders will be required to allow camera of their Laptops / iPads and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- d. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- e. The Members can join the AGM through VC/ OAVM 30 minutes before the scheduled time of commencement of the AGM and during the AGM by following the procedure mentioned in the Notice.
- f. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 Members on first come first served basis. No restrictions on account of first come first served basis entry into AGM will be applicable to large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- g. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending e-mail to the Company at secretary@bel.co.in from **14 August, 2022 (09:00 a.m IST) to 21 August, 2022 (05:00**

कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया नोट करें कि सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तभी दिए जाएंगे जब शेयरधारक निर्दिष्ट तारीख पर कंपनी के शेयर धारित करते हैं।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20, सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में व्यवहारित कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान सुकर बनाने के लिए, अधिकृत रिमोट ई-मतदान एजेंसी के रूप में, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक करार किया है। रिमोट ई-मतदान का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने तथा एजीएम में ई-मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-मतदान के अनुदेश नीचे दिए गए हैं -

रिमोट ई-मतदान के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -

- (i) रिमोट ई-मतदान की अवधि **शुक्रवार, 26 अगस्त 2022 को सुबह 9 बजे आईएसटी से शुरू होगी और सोमवार, 29 अगस्त 2022 को शाम 5.00 बजे आईएसटी को समाप्त होगी।** इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो **23 अगस्त, 2022** की निर्दिष्ट तारीख को शेयरों को वास्तविक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल उसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (ii) जिन सदस्यों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान किया है, वे एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सुविधा के बारे में सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 ("सेबी परिपत्र") के परिप्रेक्ष्य में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों को डिपोजिटरी तथा डिपोजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए उनके डीमैट खाते द्वारा मतदान करने की अनुमति होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन कर लें।

p.m IST). Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. Please note that, Members questions will be answered only if the shareholder continues to hold shares of the Company as on the cut-off date.

19. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by Members using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. The instructions for remote e-voting are as under:

Instructions for Members for Remote E-voting:

- (i) The remote e-voting period begins on **Friday, the 26 August 2022 at 09:00 a.m IST** and ends on **Monday, the 29 August 2022 at 05:00 p.m IST**. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **23 August, 2022** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) Members who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the AGM.
- (iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9 December 2020 ("SEBI Circular") on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

- क) डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-मतदान करने और एजीएम में शामिल होने की लॉगिन विधि नीचे दी गई है -

- A. Login method for e-Voting and joining the AGM for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईजी / ईज़िएस्ट सुविधा का विकल्प लिया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। इसका विकल्प बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पेज पर पहुंचने के लिए उपलब्ध होगा। ईजी / ईज़िएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूजर का यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login है या वे www.cdslindia.com में जाकर लॉगिन आइकन पर क्लिक कर न्यू सिस्टम माईईजी चुन सकते हैं। ईजी / ईज़िएस्ट में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, यूजर पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ई-मतदान प्रगति में होगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पेज देख सकते हैं या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, ई-मतदान के सभी सेवा प्रदाताओं जैसे सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकिनटाइम के सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए भी दिए गए हैं ताकि यूजर ई-मतदान सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट में सीधे जा सकें। यदि यूजर ईजी / ईज़िएस्ट विकल्प में पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration में उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, यूजर www.cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ई-मतदान लिंक से या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक करते हुए डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करते हुए ई-मतदान पेज में सीधे जा सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओ.टी.पी. भेजते हुए यूजर का प्रमाणीकरण करेगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर यूजर ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-मतदान प्रगति में है और साथ ही ई-मतदान सेवा के सभी प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस प्राप्त कर सकेंगे।

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. After successful login to the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि	Type of Shareholders	Login Method
<p>एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक</p>	<ol style="list-style-type: none"> यदि आप एनएसडीएल की IDeAS सुविधा में पहले से पंजीकृत हैं तो एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट में जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, 'IDeAS' खंड के तहत उपलब्ध "Login" में "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको यहां अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आप ई-मतदान सेवाएं देख सकते हैं। ई-मतदान सेवा के तहत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें, आप ई-मतदान पेज देख सकेंगे। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा। यदि यूजर IDeAS ई-सेवा में पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS" पोर्टल और https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' खंड में उपलब्ध "Login" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल में आपका सोलह डिजिट का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की साइट पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा। 	<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL</p>	<ol style="list-style-type: none"> If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा लॉगिन करने वाले शेयरधारक (जो डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करते हैं)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन सफल होने पर, आप ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे। ई-मतदान के विकल्प पर क्लिक करने पर आपको प्रमाणीकरण सफल होने के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट को निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट - सदस्य जो यूजर आईडी / पासवर्ड दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित वेबसाइट में उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

- ख) ई-मतदान और भौतिक शेयरधारकों तथा ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर शेयरधारक जो डीमैट के रूप में धारित करते हैं, के लिए वर्चुअल बैठकों में शामिल होने के लिए लॉगिन करने की विधि।
- शेयरधारकों को ई-मतदान की वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा।
 - “शेयरधारक” मॉड्यूल में क्लिक करें।
 - अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें -
 - सीडीएसएल के लिए- 16 अंकों का हितलाभी आईडी,
 - एनएसडीएल के लिए - 8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,
 - शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को कंपनी के पास दर्ज फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।
 - इसके बाद प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
 - यदि आप शेयरों को डीमैट रूप में रखते हैं और www.evotingindia.com पर आपने लॉग ऑन कर किसी कंपनी के पहले के ई-मतदान पर मतदान किया है तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना है।
 - यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

- B. Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - Click on “Shareholders” module.
 - Now enter your User ID
 - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 - Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 - If you are a first-time user follow the steps given below:

<p>पैन</p>	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 अंकों का अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारक, दोनों के लिए)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए द्वारा भेजी गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी / आरटीए से संपर्क करें । 	<p>PAN</p>	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
<p>लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)</p>	<p>लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी के अभिलेखों में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं तो लाभांश बैंक विवरण के स्थान पर सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें। 	<p>Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)</p>	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

<p>vii) इन विवरण को उचित ढंग से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें ।</p> <p>viii) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को इसके बाद कंपनी का चयन स्क्रीन दिखेगा। बहरहाल, डीमैट रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारकों को अब 'Password Creation' मेन्यू दिखेगा जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी जिसमें वे मतदान करने के पात्र हैं, के संकल्पों हेतु मतदान करने के लिए डीमैट धारकों द्वारा भी किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म द्वारा ई-मतदान का विकल्प लेती हो। इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड के संबंध में पूरी गोपनीयता बरतें।</p> <p>ix) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए, इस विवरणों का उपयोग इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए ही किया जा सकता है।</p> <p>x) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ईवीएसएन पर क्लिक करें- 220729001 जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं ।</p> <p>xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और उसी विकल्प के सामने मतदान के लिए "YES/NO" विकल्प होगा। इच्छानुसार हाँ या नहीं के विकल्प का चयन करें। विकल्प हाँ का अर्थ है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प को अस्वीकार करते हैं।</p> <p>xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें ।</p>	<p>vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.</p> <p>viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.</p> <p>ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.</p> <p>x) Click on the EVSN of Bharat Electronics Limited: 220729001 on which you choose to vote.</p> <p>xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.</p> <p>xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.</p>
---	---

- xiii) आप जिस संकल्प पर मतदान करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अपने मतदान को बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मतदान को संशोधित करें।
- xiv) एक बार जब आप संकल्प पर मतदान "CONFIRM" कर देते हैं, तो आपको अपना मतदान संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- xv) आप मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और Forgot Password पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।
- ग. गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल रिमोट मतदान के लिए।
- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और स्वयं को "Corporates" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
 - संस्था के स्टैप और हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण प्रारूप की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पॉसवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंप्लाइंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कंप्लाइंस यूजर उस खाते को लिंक करने में सक्षम होंगे जिसके लिए वे मतदान देना चाहते हैं।
 - लॉगिन में जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों को अनुमोदन प्राप्त करने पर अपना मतदान दे सकेंगे।
 - मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो संवीक्षक को उसका सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- घ. एजीएम के दौरान ई-मतदान करने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश-
- क) एजीएम के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान है।
- ख) केवल ऐसे सदस्यों के लिए, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर
- xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- C. Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –For Remote Voting only.
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the Scrutiniser to verify the same.
- D. Instructions for Members for e-voting during the AGM:
- a) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- b) Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions

अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसे करने से विवर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

- ग) यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के दौरान सदस्यों द्वारा कोई मतदान किया गया और ऐसे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो, ऐसे सदस्यों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान करने की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
- घ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- ड. सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसे डिपोजिटरी के माध्यम से लॉगिन करने संबंधी किसी तकनीकी मामलों के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. However, members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM.

- c) If any Votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Members attending the meeting.
- d) Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- E. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com में अनुरोध भेजते हुए सीडीएसएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in में अनुरोध भेजते हुए एनएसडीएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

20. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारक के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले आते हैं, वे ही मतदान करने के हकदार होंगे।
21. कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिंगे, एफसीएस 6680, पेशेवर कंपनी सचिव को स्कूटिनाइजर नियुक्त किया है। स्कूटिनाइजर एजीएम में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, एजीएम में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किए गए

20. In case of joint holders attending the AGM, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote.
21. The Board of Directors of the Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutiniser to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutiniser shall, after the conclusion of e-voting at the AGM, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and submit, a consolidated Scrutiniser's Report of the total number of votes cast in favour of or against or invalid, if any,

मतदान को खोलेंगे और एजीएम की समाप्त के बाद अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्रीटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे। अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे।

अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रीटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर लगाए जाएंगे और इसकी सूचना एक साथ बायबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी।

22. प्रस्तावित संकल्पों को एजीएम की तारीख में पारित किया गया माना जाएगा, जो इन संकल्पों के पक्ष में मतों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के अधीन होगा।
23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शोयरधारिता का रजिस्टर रखा गया है और ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं और जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया है, तथा इस सूचना में संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़ इस सूचना के परिचालन की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 30 अगस्त 2022 तक बिना किसी शुल्क से सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध ई-मेल आईडी secretary@bel.co.in पर भेज सकते हैं।
24. एजीएम के दर्ज प्रतिलेख कंपनी द्वारा रखे जाएंगे और बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in के निवेशक खंड में उपलब्ध कराए जाएंगे।
25. चूंकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस सूचना के साथ रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

not later than two working days of the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

The result, along with the Scrutiniser's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in immediately after the results are declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited, simultaneously.

22. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions.
23. The Register of Directors' and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice will be available for inspection by the Members electronically without any fee from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM i.e. 30 August, 2022. Members seeking to inspect such documents can send their request at the e-mail ID secretary@bel.co.in
24. The recorded transcript of the AGM, shall be maintained by the Company and also be made available on the website of the Company www.bel-india.in in the Investor Section, at the earliest soon after the conclusion of the Meeting.
25. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण। मद सं. 4 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा डॉ. पार्थसारथी पी वी (डीआईएन-06400408) को बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में डॉ. पार्थसारथी पी वी की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. पार्थसारथी पी वी की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

डॉ. पार्थसारथी पी वी को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 4 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

डॉ. पार्थसारथी पी वी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 5 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा श्री मनसुखभाई एस खचारिया(डीआईएन:01423119) को बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में श्री मनसुखभाई एस खचारिया की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री मनसुखभाई एस खचारिया की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

श्री मनसुखभाई एस खचारिया को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.4:

The Government has vide its letter dated 23 December 2021 appointed Dr Parthasarathi P V (DIN:06400408) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Dr Parthasarathi P V as an Additional Director, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Dr Parthasarathi P V as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Dr Parthasarathi P V, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.4 of the notice of this meeting.

Dr Parthasarathi P V fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.5:

The Government has vide its letter dated 23 December 2021 appointed Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN:01423119) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Mansukhbhai S Khachariya as an Additional Director, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Mansukhbhai S Khachariya as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Mansukhbhai S Khachariya, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.5 of the notice of this meeting.

श्री मनसुखभाई एस खचारिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 6 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा श्री श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन:00871919) को बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में श्री श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 7 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा डॉ शिवनाथ यादव (डीआईएन: 09450917) को बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में डॉ शिवनाथ यादव की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ शिवनाथ यादव की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

Mr Mansukhbhai S Khachariya fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.6:

The Government has vide its letter dated 23 December 2021 appointed Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN:00871919) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Prafulla Kumar Choudhury as an Additional Director, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Prafulla Kumar Choudhury as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Prafulla Kumar Choudhury, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.6 of the notice of this meeting.

Mr Prafulla Kumar Choudhury fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.7:

The Government has vide its letter dated 23 December 2021 appointed Dr Shivnath Yadav (DIN:09450917) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Dr Shivnath Yadav, as an Additional Director, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Dr Shivnath Yadav as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

डॉ शिवनाथ यादव को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 7 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

डॉ शिवनाथ यादव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 8 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा डॉ संतोषकुमार एन (डीआईएन:09451052) को बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में डॉ संतोषकुमार एन की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ संतोषकुमार एन की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

डॉ संतोषकुमार एन को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 8 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

डॉ संतोषकुमार एन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 9 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2022 द्वारा श्री गोकुलन बी (डीआईएन:09473378) को बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में श्री गोकुलन बी की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री गोकुलन बी की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Dr Shivnath Yadav, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.7 of the notice of this meeting.

Dr Shivnath Yadav fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.8:

The Government has vide its letter dated 23 December 2021 appointed Dr Santhoshkumar N(DIN:09451052) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Dr Santhoshkumar N, as an Additional Director, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Dr Santhoshkumar N as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Dr Santhoshkumar N, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.8 of the notice of this meeting.

Dr Santhoshkumar N fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.9:

The Government has vide its letter dated 10 January 2022 appointed Mr Gokulan B (DIN:09473378) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Gokulan B as an Additional Director, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Gokulan B as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

श्री गोकुलन बी को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 9 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

श्री गोकुलन बी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 10 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2022 द्वारा श्रीमती श्यामा सिंह (डीआईएन:09495164) को बीईएल के मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या आगे के आदेश जारी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में श्रीमती श्यामा सिंह की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती श्यामा सिंह की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगी।

श्रीमती श्यामा सिंह को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 10 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 11 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन: 09578183) को उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक या आगे के आदेश दिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (अन्य यूनिट) के रूप में नियुक्त किया। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में निदेशक नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 से लागू करते हुए श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक के रूप में श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Gokulan B, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.9 of the notice of this meeting.

Mr Gokulan B fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.10:

The Government has vide its letter dated 28 January 2022 appointed Mrs Shyama Singh (DIN:09495164) as Non-official Independent Director on the Board of BEL for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mrs Shyama Singh, as an Additional Director, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mrs Shyama Singh as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mrs Shyama Singh, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.10 of the notice of this meeting.

Mrs Shyama Singh fulfills the requirements of an Independent Director as provided under section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 (1)(b) of Listing Regulation.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.11:

The Government has vide its letter dated 20 April 2022, appointed Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN:09578183), as Director (Other Units) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Bhanu Prakash Srivastava as an Additional Director w.e.f 20 April 2022, to hold office until the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Bhanu Prakash Srivastava as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 11 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 12 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा डॉ बिनाय कुमार दास (डीआईएन:09660260) को बीईएल के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में निदेशक नियुक्त किया और जिन्हें तदुपरांत इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 4 जुलाई 2022 से लागू करते हुए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए, अपर निदेशक के रूप में डॉ बिनाय कुमार दास की नियुक्ति की। तदुपरांत कंपनी ने एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ बिनाय कुमार दास की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को प्रकट करते हुए लिखित में सूचना प्राप्त की है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगी।

डॉ बिनाय कुमार दास को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 12 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी रूप से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 13 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम) नियम 2014 (नियम) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और उनके पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह भी आवश्यकता बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मेसर्स मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (एलएलपिन-एएबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को इस संकल्प में दर्शित अनुसार कार्यकाल / पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा गया है।

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Bhanu Prakash Srivastava, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.11 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.12:

The Government has vide its letter dated 23 June 2022, appointed Dr Binoy Kumar Das (DIN:09660260), as Part-time Official Director on the Board of BEL and was subsequently appointed as an Additional Director w.e.f 4 July 2022 to hold office upto the date of this Annual General Meeting.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Dr Binoy Kumar Das, as Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Dr Binoy Kumar Das as a Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Dr Binoy Kumar Das, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.12 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.13:

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the Members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) to conduct cost audit of the Company for the financial year 2022-23 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

कंपनी के कोई भी निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 13 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद सं. 14 और 15 के संबंध में -

कंपनी की वर्तमान प्राधिकृत पूंजी ₹ 250,00,00,000 (रुपए दो सौ पचास करोड़ मात्र) है जिसे ₹ 1 (रुपए एक मात्र) प्रत्येक के 250,00,00,000 (दो सौ पचास करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। कंपनी की अभिदत्त, जारी और चुकता पूंजी ₹ 2,43,65,92,943 (रुपए दो सौ तिरालिस करोड़ पैसठ लाख बयानबे हज़ार नौ सौ तिरालिस मात्र) है जो ₹ 1 (₹ एक मात्र) प्रत्येक के 2,43,65,92,943 (दो सौ तिरालिस करोड़ पैसठ लाख बयानबे हज़ार नौ सौ तिरालिस मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

चूंकि मंडल ने 4 अगस्त 2022 को हुई अपनी बैठक में बोनस शेयर जारी करते हुए अपनी मुक्त प्रारक्षण निधियों के पूंजीकरण का निर्णय लिया है, प्रस्तावित है कि इस बैठक की सूचना के संकल्प सं. 14 में बताए गए विधि अनुसार ₹ 1 (₹ एक मात्र) प्रत्येक के अतिरिक्त 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़ मात्र) इक्विटी शेयर सृजित करते हुए कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को ₹ 750,00,00,000 (₹ सात सौ पचास करोड़ मात्र) तक बढ़ाया जाए जो 1 ₹ (₹ एक मात्र) प्रत्येक के 750,00,00,000 (सात सौ पचास करोड़ मात्र) में विभाजित होगी। इस प्रकार इस बढ़ोत्तरी से कंपनी को बोनस इश्यू द्वारा अतिरिक्त पूंजी जारी करने में मदद मिलेगी।

प्राधिकृत शेयर पूंजी में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी के लिए इस बैठक की सूचना के संकल्प सं. 15 में बताई गई विधि अनुसार कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों के मौजूदा खंड-V में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी।

संस्था के मौजूदा बहिर्नियमों के साथ-साथ प्रस्तावित परिवर्तन को दर्शाते हुए बहिर्नियम की एक प्रति एजीएम की तारीख तक यानी 30 अगस्त, 2022 तक सभी कार्यदिवसों में कार्यालयीन घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

तदनुसार, मंडल सदस्यों द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में सूचना की मद सं. 14 और विशेष संकल्प के रूप में मद सं. 15 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है।

कंपनी के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 14 और 15 में उल्लिखित

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.13 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.14 & 15:

The present Authorised Share Capital of the Company is ₹ 250,00,00,000 (Rupees two hundred and fifty crore only) divided into 250,00,00,000 (Two hundred and fifty crore only) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each. The Subscribed, Issued and paid-up capital of the Company is ₹ 2,43,65,92,943 (Rupees two forty three crore sixty five lakh ninety two thousand and nine hundred forty three only) divided into 2,43,65,92,943 (two forty three crore sixty five lakh ninety two thousand and nine hundred forty three) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each.

As the Board in its meeting held on 4 August 2022, decided to capitalize its free reserves by way of issuance of bonus shares, it is proposed to increase the present Authorised Share Capital of the Company to ₹ 750,00,00,000 (Rupees seven hundred and fifty crore only) divided into 750,00,00,000 (Seven hundred and fifty crore only) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each by way of creation of additional 500,00,00,000 (Five hundred crore only) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each in the manner as set out in Resolution no.14 of the Notice of this meeting. Thus, the increase shall enable the Company to issue further capital by way of Bonus Issue.

The proposed increase in Authorized Share Capital shall require alteration of existing Clause-V of the Memorandum of Association of the Company in the manner as set out in Resolution no. 15 of the Notice of this meeting.

A copy of the Memorandum of Association reflecting the proposed amendment together with the existing Memorandum of Association shall be open for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days up to the date of AGM i.e. 30 August 2022.

Accordingly, the Board recommends passing of the resolutions set forth in Item no. 14 of the notice as an Ordinary Resolution and Item no. 15 as Special Resolution by the Members.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or

संकल्प में किसी भी रूप से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मद सं. 16 के संबंध में -

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं और सक्रियता से इनकी खरीदी-बिक्री की जाती है। सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि कंपनी का कामकाज पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है जिसके कारण बाजार में कंपनी के इक्विटी शेयरों में उल्लेखनीय रूप से रुचि पैदा हुई है। सामान्य सकारात्मक आर्थिक परिवेश में कंपनी के शेयरों की बाजार कीमत भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। यथा 31 मार्च 2022 को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी की कुल प्रारक्षण निधियां और अधिशेष ₹ 11,740.60 करोड़ हैं। कंपनी की प्रारक्षण निधियों और अधिशेष की स्थिति पर विचार करते हुए तथा इसे छोटे निवेशकों के लिए वहनीय बनाने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 4 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक में 2:1 के अनुपात में (धारित प्रत्येक एक इक्विटी शेयर के लिए दो बोनस शेयर) बोनस शेयर जारी करने की संस्तुति करना वांछित समझा।

ऐसे पूर्ण चुकता बोनस शेयर कंपनी के ऐसे सदस्यों को वितरित किए जाएंगे जिनके नाम बोनस शेयर जारी करने के प्रयोजनार्थ आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तय की गई रिकार्ड तारीख पर, सदस्यों के रजिस्टर में या उनके संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के संबंधित हितलाभी खाते में दर्शित होते हैं।

इस प्रकार आर्बिट्रल बोनस शेयर कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ विभाजित शेयरों सहित हर प्रकार से सममात्रा की श्रेणी के होंगे। प्रस्तावित बोनस शेयरों का जारी करना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और सांविधिक प्राधिकारियों के यथा आवश्यक अनुमोदन के अधीन होगा। इसके अलावा, निदेशक मंडल / मंडल की समिति को सेबी, स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं तथा / या बोनस शेयर जारी करने के सिलसिले में किसी अन्य विनियामक या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी विनियामक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए प्राधिकृत करने की आवश्यकता होगी।

तदनुसार मंडल मद सं. 16 में उल्लिखित संकल्प को सदस्यों द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने की संस्तुति करता है।

कंपनी के कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 16 में उल्लिखित संकल्प में किसी भी रूप से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.14 & 15 of the notice of this meeting.

In respect of item No.16:

The equity shares of your Company are listed and actively traded on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. The Members may be aware that the operation of the Company has grown significantly during the last few years, which has generated considerable interest in the Company's Equity Shares in the Market. This coupled with the general positive economic environment, the market price of the Company's shares has also increased significantly. The total Reserves and Surplus of the Company as per the Audited Financial Statements as at 31 March 2022 are ₹ 11,740.60 Crore. Considering the position of Reserves and Surplus of the Company and in order to make it affordable to the small investors, the Board of Directors of the Company at their meeting held on 4 August 2022 considered it desirable to recommend issue of Bonus Shares in the ratio of 2:1 (two bonus equity shares for every one equity share held).

Such Fully Paid-up Bonus Shares shall be distributed to the Members of Company, whose names shall appear on its Register of Members or in the respective beneficiary account with their respective Depository Participants, on the Record Date to be determined by the Board of Directors of your Company for the purpose of issue of Bonus Shares.

The Bonus Shares so allotted shall rank pari-passu in all respects including dividend with the existing equity shares of the Company. The proposed issue of Bonus Shares will be made in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Securities Exchange Board of India from time to time and subject to such approvals, as may be required, from the statutory authorities. Further, it is necessary to authorise the Board of Directors /Committee of the Board to complete all the regulatory formalities prescribed by SEBI, Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed and / or any other regulatory or statutory authority in connection with the issue of Bonus Shares.

Accordingly, the Board recommends passing of the resolutions set forth in Item no.16 as an Ordinary Resolution by the Members.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.16 of the notice of this meeting.

सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 में यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए संस्तुत निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

मद सं. 3 के संबंध में -

पुनर्नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री राजशेखर एम वी (डीआईएन- 08850171)
जन्म तिथि	19 अगस्त 1962.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	1 सितंबर 2020.
शैक्षिक योग्यता	बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	<p>श्री एम वी राजशेखर ने 1 सितंबर, 2020 को नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) के निदेशक (अनुसंधान व विकास) का कार्यग्रहण किया। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सीआरएल)-बेंगलूरु में मुख्य वैज्ञानिक और बीईएल के कार्पोरेट कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओ.एस.डी.) थे।</p> <p>श्री एम वी राजशेखर ने श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में बी.टेक करने के बाद 1 फरवरी, 1985 को परिवीक्षाधीन अभियंता के रूप में बीईएल की गाज़ियाबाद यूनिट में कार्य ग्रहण किया था। अपने 35 वर्षों के लंबे करियर में, उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और बीईएल की विविध प्रौद्योगिकियों में समृद्ध अनुभव अर्जित किया।</p> <p>बीईएल की गाज़ियाबाद यूनिट में अपने कार्यकाल के दौरान वे स्थैतिक एवं डिजिटल मोबाइल ट्रोपो-स्कैटर संचार एवं सैटकॉम, रेडार प्रदर्श एवं कमान व कंट्रोल सिस्टम जैसे संचार उत्पादों के परीक्षण में शामिल रहे। वर्ष 2000 में उन्हें हैदराबाद यूनिट भेजा गया जहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति की विभिन्न प्रणालियों के परीक्षण व कार्यारंभ पर कार्य किया। वर्ष 2004 में उन्हें मछिलिपट्टणम यूनिट स्थानांतरित किया गया।</p>

Additional information of Directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meetings (SS-2).

In respect of item No.3:

Re-Appointment:

Name and DIN	Mr Rajasekhar M V (DIN: 08850171)
Date of Birth	19 August 1962.
Date of first appointment on the Board	1 September 2020.
Qualification	Bachelor Technology (Electronics & Communication).
Expertise in specific function area	<p>Mr M V Rajasekhar, took charge as Director (R&D) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Ltd. (BEL) on 1 September 2020. He was working as Chief Scientist of BEL's Central Research Laboratory (CRL)-Bangalore, and Officer on Special Duty (OSD) at BEL's Corporate Office, before his elevation.</p> <p>Mr M V Rajasekhar joined BEL's Ghaziabad Unit on 1 February 1985, as Probationary Engineer after completing B.Tech in Electronics & Communication Engineering from Sri Venkateswara University, Tirupati. In a career spanning over the last 35 years, he has worked in various capacities and gained rich experience in diverse technologies of BEL.</p> <p>He was involved in the testing of Communication products such as Static and Digital Mobile Troposcatter Communication & Satcom Networks, Radar Displays and Command & Control Systems during his tenure at BEL's Ghaziabad Unit. In the year 2000, he moved to Hyderabad Unit and worked on the testing and commissioning of various Electronic Warfare systems. In 2004, he was transferred to Machilipatnam Unit.</p>

	<p>मछिलिपट्टणम यूनिट में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री राज शेखर ने रात्रि दर्शी युक्ति की डिज़ाइन और विकास के लिए योगदान दिया जिसकी गृह मंत्रालय और भारतीय थलसेना को बड़ी मात्रा में आपूर्ति की गई। उन्होंने आई.आर. ऑप्टिक्स में बीईएल के लिए अच्छी डिज़ाइन का आधार तैयार किया और सीआरएल- बेंगलूरु में संकेत प्रसंस्करण विकास की पहल की।</p> <p>आईआरडीई (डीआरडीओ) के सहयोग से अत्याधुनिक व नवीनतम थर्मल इमेजर आधारित साइटों व प्रणालियों के स्वदेशी विकास में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई जिसके कारण कंपनी के कारोबार में उल्लेखनीय प्रगति हुई।</p> <p>मई 2016 में, उन्हें मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (इलेक्ट्रो ऑप्टिक एवं लेज़र) के पद पर पदोन्नत किया गया। सीटीओ (ईओ एंड एल) के रूप में, उन्होंने बीईएल के उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) में इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स एवं लेज़र में अनेक नई परियोजनाओं की पहल की और यूनिट की डी एंड ई और सीआरएल- बेंगलूरु के प्रयासों को गति प्रदान की। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु और सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) के साथ रणनीतिक सहयोग करते हुए फायबर लेज़र प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वे सीआरएल- बेंगलूरु और पीडीआईसी के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणास्रोत बने।</p> <p>निदेशक (अनुसंधान व विकास) के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले, जून, 2019 में, उन्हें मुख्य वैज्ञानिक के रूप में सीआरएल- बेंगलूरु भेजा गया जहाँ उन्होंने कृत्रिम आसूचना, रोबोटिक्स एवं ड्रोन, सायबर सुरक्षा, क्लाउड एवं डेटा एनालिटिक्स, सामरिक संचार, रेडार सिग्नल एवं डेटा प्रसंस्करण, ईओ एंड एल, स्मार्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्किंग डिवाइस और सिस्टम तथा ईडबल्यू एंड अकास्टिक्स के लिए उन्नत सिग्नल प्रोसेसर जैसी विविध प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले लगभग 260 वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व किया।</p>		<p>During his tenure at Machilipatnam Unit, Mr M V Rajasekhar contributed to the design and development of Night Vision Devices which have been supplied in large quantities to the Ministry of Home Affairs and the Indian Army. He has established a good design base for BEL in IR Optics and initiated signal processing development at CRL-Bangalore.</p> <p>He was instrumental in the indigenous development of state-of-the-art Thermal Imager-based Sights and Systems in association with IRDE (DRDO) which resulted in significant business growth for the Company.</p> <p>In May 2016, he was promoted as Chief Technology Officer (Electro Optics & Lasers). As CTO (EO&L), he initiated many new projects in Electro-Optics and Lasers at BEL's Product Development & Innovation Centre (PD&IC), complementing the efforts of Unit D&Es and CRL, Bangalore. He was a guiding force for the scientists of CRL-Bangalore and PD&IC for the development of Fiber Laser Technology in strategic alliance with the Indian Institute of Science, Bangalore, and Central Glass and Ceramic Research Institute (CGCRI).</p> <p>In June 2019, he moved to CRLBG as Chief Scientist and led a team of around 260 scientists working on diverse technologies such as Artificial Intelligence, Robotics & Drones, Cyber Security, Cloud & Data Analytics, Tactical Communications, Radar Signal & Data Processing, EO&L, Smart Computing Devices, Embedded Systems, Networking Devices and Systems and Advanced Signal Processing for EW & Acoustics, before his elevation as Director (R&D).</p>
पुनर्नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार पुनर्नियुक्ति।	Terms and conditions of re-appointment	Re-appointment in terms of section 152(6) of the Companies Act, 2013.
निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं	Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.

अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड और बीईएल- थालेस सिस्टम लिमिटेड।
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड -नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति और सीएसआर समिति के सदस्य। बीईएल- थालेस सिस्टम लिमिटेड - नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष और लेखा समिति के सदस्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	1,263.
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 8 बैठकों में से 8 बैठकों में भाग लिया।
नियुक्ति-	
नाम और डीआईएन	डॉ पार्थसारथी पी वी (डीआईएन- 06400408).
जन्म तिथि	30 अगस्त 1970.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	28 दिसंबर 2021.
शैक्षिक योग्यता	एमडीएस - पेडोडोंटिक्स
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ. पार्थसारथी पी वी दंत रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और पार्थ डेंटल केयर इंडिया प्रा. लि. और पार्थ कॉस्मेटोलॉजी प्रा. लि., हैदराबाद के प्रबंध निदेशक हैं। वे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में पेशेवर विशेषज्ञ हैं और उन्हें इस क्षेत्र का लगभग 15 वर्षों का पेशेवर अनुभव है।

Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	BEL Optronics Devices Limited and BEL-Thales Systems Limited.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	BEL Optronics Devices Limited -Chairman of Nomination & Remuneration Committee, Member of Audit Committee and CSR Committee. BEL-Thales Systems Limited - Chairman of Nomination & Remuneration Committee and Member of Audit Committee.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	1,263.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner.	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22.	Attended 8 meeting out of 8 meeting held during his tenure in BEL.
Appointment:	
Name and DIN	Dr Parthasarathi P V (DIN: 06400408).
Date of Birth	30 August 1970.
Date of first appointment on the Board	28 December 2021.
Qualification	MDS - Pedodontics.
Expertise in specific function area	Dr. Parthasarathi P V holds a Post Graduate Degree in Dental Sciences and is the Managing Director of Partha Dental Care India Pvt. Ltd & Partha Cosmetology Pvt. Ltd., Hyderabad. He is a practicing specialist Dental Surgeon in Paediatric Dentistry and has around 15 years professional experience in the field.

नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 4 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।	Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.4 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं	Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं	Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं	Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company.	Nil.
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 2 बैठकों में से 2 बैठकों में भाग लिया।	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22.	Attended 2 meeting out of 2 meeting held during his tenure in BEL.
इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं सक्षमताएं तथा तरीका जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पुनः करता है।	कृपया कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता से संबंधित पैरा देखें।	Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the para on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.

नाम और डीआईएन	श्री मनसुखभाई एस खचारिया (डीआईएन-01423119).
जन्म तिथि	1 फरवरी 1960.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	28 दिसंबर 2021.
शैक्षिक योग्यता	बी.एससी
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री मनसुखभाई शामजीबाई खचारिया विज्ञान स्नातक हैं और राजकोट, गुजरात के कारोबारी उद्यमी हैं। वे वर्तमान में भाजपा राजकोट के जिला अध्यक्ष हैं। वे क्लासिक कॉटन प्रा. लि., राजकोट के मंडल में भी निदेशक हैं।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 5 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं

Name and DIN	Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN: 01423119).
Date of Birth	1 February 1960.
Date of first Appointment on the Board	28 December 2021.
Qualification	Bachelor of Science.
Expertise in specific function area	Mr Mansukhbhai Shamjibhai Khachariya is a Science Graduate and is a business entrepreneur in Rajkot, Gujarat. He is presently holding the post of BJP Rajkot District President. He is also a Director on the Board of Classic Cotton Pvt. Ltd, Rajkot.
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.5 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 2 बैठकों में से 2 बैठकों में भाग लिया।	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22.	Attended 2 meeting out of 2 meeting held during his tenure in BEL.
इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं सक्षमताएं तथा तरीका जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पुनः करता है।	कृपया कांफ़रेंट अभिशासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता से संबंधित पैरा देखें।	Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the para on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
नाम और डीआईएन	श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन- 00871919)	Name and DIN	Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN: 00871919).
जन्म तिथि	23 जुलाई 1957.	Date of Birth	23 July 1957.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	28 दिसंबर 2021.	Date of first Appointment on the Board	28 December 2021.
शैक्षिक योग्यता	सनदी लेखाकार	Qualification	Chartered Accountant.
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी सनदी लेखाकार हैं और के.डी. लथ एंड कं., भुवनेश्वर, ओडीशा में साझेदार हैं और उन्हें लेखा परीक्षा, कराधान, वित्तीय सेवा, कंपनी विधि के मामलों, सोसाइटियों और ट्रस्टों आदि के क्षेत्रों में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक पेशेवर अनुभव है।	Expertise in specific function area	Mr Prafulla Kumar Choudhury is a Chartered Accountant & Partner in K.D. Lath & Co., Bhubaneswar, Orissa, and has a wide professional experience of more than 35 years in the areas of Auditing, Taxation, Financial Services, Company Law Matters, Societies & Trusts etc.
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 6 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।	Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.6 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं	Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं	Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं
हितलाभी स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के लिए कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 2 बैठकों में से 2 बैठकों में भाग लिया।
इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं सक्षमताएं तथा तरीका जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पुनः करता है।	कृपया कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता से संबंधित पैरा देखें।
नाम और डीआईएन	डॉ. शिवनाथ यादव (डीआईएन- 09450917).
जन्म तिथि	11 जुलाई 1957.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	28 दिसंबर 2021.
शैक्षिक योग्यता	एम.ए., एल.एल.बी. और पी.एचडी
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ शिव नाथ यादव कला, विधि में स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट (पीएच.डी.) हैं और डीएवी डिग्री कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और वाराणसी, भारत में रहते हैं।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 7 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं

Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22.	Attended 2 meeting out of 2 meeting held during his tenure in BEL.
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the para on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Name and DIN	Dr Shivnath Yadav (DIN: 09450917).
Date of Birth	11 July 1957.
Date of first Appointment on the Board	28 December 2021.
Qualification	Masters of Arts, Bachelor of Legislative Law & PhD.
Expertise in specific function area	Dr. Shiv Nath Yadav holds a Degree in Master of Arts, Law & Doctorate (PhD), is a retired professor from DAV Degree College and is based at Varanasi, India.
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.7 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.

अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं	Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company.	Nil.
हितलाभी स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के लिए कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner.	Nil.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 2 बैठकों में से 2 बैठकों में भाग लिया।	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22.	Attended 2 meeting out of 2 meeting held during his tenure in BEL.
इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं सक्षमताएं तथा तरीका जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पुनः करता है।	कृपया कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता से संबंधित पैरा देखें।	Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the para on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
नाम और डीआईएन	डॉ. संतोषकुमार एन (डीआईएन- 09451052)	Name and DIN	Dr Santhoshkumar N (DIN: 09451052).
जन्म तिथि	3 जुलाई 1963.	Date of Birth	3 July 1963.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	28 दिसंबर 2021.	Date of first Appointment on the Board	28 December 2021.
शैक्षिक योग्यता	मेकेनिकल इंजीनियरी में एम.टेक और पी.एचडी।	Qualification	Master of Technology & PhD in Mechanical Engineering.
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ संतोषकुमार एन प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (मेकेनिकल इंजीनियरी में एम.टेक) और डॉक्टरेट (मेकेनिकल इंजीनियरी में पीएच.डी.) हैं और उन्हें इंजीनियरी, अनुसंधान व प्रशासन के क्षेत्र में लगभग 34 वर्षों का दीर्घ अनुभव है। वे वर्ष 2020 में एनएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरी, पालक्काड, केरल के प्रोफेसर और डीन (यू.जी.) के पद पर सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में वे केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव हैं।	Expertise in specific function area	Dr. Santhoshkumar N holds a Degree in Master of Technology (M.Tech in Mechanical Engineering) and Doctorate (PHD in Mechanical Engineering) and has a rich experience of around 34 years in the Engineering, Research & Administration fields. He retired as Professor & Dean (UG) at NSS College of Engineering, Palakkad, Kerala in 2020. Presently, is he associated as Registrar with the Central University of Kerala.

नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 8 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 2 बैठकों में से 2 बैठकों में भाग लिया।
इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं सक्षमताएं तथा तरीका जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पुनः करता है।	कृपया कापोरिट अभिशासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता से संबंधित पैरा देखें।
नाम और डीआईएन	श्री गोकुलन बी (डीआईएन- 09473378)
जन्म तिथि	23 मई 1962.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	20 जनवरी 2022.

Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.8 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years	Nil.
No. of equity shares held in the Company	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22	Attended 2 meeting out of 2 meeting held during his tenure in BEL.
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the para on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Name and DIN	Mr. Gokulan B (DIN: 09473378).
Date of Birth	23 May 1962.
Date of first Appointment on the Board	20 January 2022.

शैक्षिक योग्यता	बीएससी (वनस्पति विज्ञान) और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा	Qualification	BSC (Botany) and Diploma in Computer Application.
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री गोकुलन बंगकंडी, विज्ञान में स्नातक (बीएससी) (वनस्पति विज्ञान), कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा (डीसीए) और माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणित डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (एमसीडीबीए) की डिग्री रखते हैं और उन्हें सॉफ्टवेयर विकास में नई दिल्ली में नौ (9) वर्ष और केएसए में तेईस (23) वर्ष लगभग बत्तीस (32) वर्षों का दीर्घ अनुभव है। उन्हें विशेष रूप से ईआरपी सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए डेटाबेस डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, कोडिंग, तुलन-पत्र तक खाते तैयार करने की अच्छी जानकारी है। उन्हें मोबाइल एप्लिकेशन विकास - एंड्रॉइड / आईफोन में तीन (03) वर्षों का अनुभव भी है और उन्होंने ईआरपी समाधान, कारखाने के लिए सॉफ्टवेयर, कर्मशाला, क्लीनिक, पीओएस और अन्य सॉफ्टवेयर जैसे विविध सॉफ्टवेयर विकसित किया है।	Expertise in specific function area	Shri Gokulan Bangakandy holds degree of Bachelor of Science (BSc) (Botany), Diploma in Computer Application (DCA) and Microsoft certified Data Base Administrator (MCDBA) and has a rich experience of around thirty-two (32) years in Software Development [Nine (9) Years in New Delhi and Twenty-three (23) years in KSA]. He possesses good knowledge in database design, Software design, Coding, Accounts up to Balance sheet preparation especially for developing ERP Software. He also has experience of three (03) years in mobile application development – Android/iPhone and developed varied software e.g. ERP solutions, software for Factory, Workshop, Clinics, POS and other software.
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 9 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।	Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.9 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटन	कुछ नहीं	Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं	Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं	Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company.	Nil.

हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 2 बैठकों में से 2 बैठकों में भाग लिया।
इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं सक्षमताएं तथा तरीका जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पुनः करता है।	कृपया कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता से संबंधित पैरा देखें।
नाम और डीआईएन	श्रीमती श्यामा सिंह (डीआईएन- 09495164)
जन्म तिथि	15 अक्टूबर 1966.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	7 फरवरी 2022.
शैक्षिक योग्यता	राजनीति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री, राजनीति विज्ञान में एमए, एलएलबी और दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्रीमती श्यामा सिंह राजनीति विज्ञान में बी.ए ऑनर्स की डिग्री, राजनीति विज्ञान में एमए, एलएलबी और दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं तथा उन्हें गया सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में लगभग छब्बीस (26) वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उन्हें कानून और राजनीति विज्ञान की अच्छी जानकारी है। वे 2001 से 2005 तक गया जिला बोर्ड और योजना समिति की सदस्य रहीं।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 10 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटचण	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं

No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22	Attended 2 meeting out of 2 meeting held during his tenure in BEL.
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements.	Please refer to the para on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Name and DIN	Mrs. Shyama Singh (DIN: 09495164)
Date of Birth	15 October 1966.
Date of first Appointment on the Board	7 February 2022.
Qualification	B.A Hons. Political Science, M.A Political Science, LLB and Master of Philosophy.
Expertise in specific function area	Smt Shyama Singh holds degree of B.A Hons. Political Science, M.A Political Science, LLB and Master of Philosophy and has a rich experience of around twenty-six (26) years as an Advocate in Gaya Civil Court. She possesses good knowledge in law and Political Science. She was Gaya District Board member and Planning committee member from 2001 to 2005.
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.10 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.

अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं	Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company.	Nil.
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं	No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 1 बैठक में से 1 बैठक में भाग लिया।	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22	Attended 1 meeting out of 1 meeting held during her tenure in BEL.
इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल एवं सक्षमताएं तथा तरीका जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पुनः करता है।	कृपया कापोरिट अभिशासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता से संबंधित पैरा देखें।	Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements	Please refer to the para on Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
नाम और डीआईएन	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन- 09578183)	Name and DIN	Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN: 09578183)
जन्म तिथि	22 मई 1965.	Date of Birth	22 May 1965.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	20 अप्रैल 2022.	Date of first Appointment on the Board	20 April 2022.
शैक्षिक योग्यता	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और एमबीए (विपणन)	Qualification	B.Tech in Mechanical Engineering and MBA (Marketing).
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव ने दिनांक 20 अप्रैल, 2022 से नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (अन्य यूनिटों) का कार्यभार संभाला। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल बेंगलूरू कॉम्प्लेक्स की उन्नत रक्षा प्रणाली-नौसेना (एडीएसएन) रणनीतिक कारोबारी यूनिट में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।	Expertise in specific function area	Mr Bhanu Prakash Srivastava assumed charge as Director (Other Units) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) with effect from April 20, 2022. He was serving as General Manager of the Advanced Defence Systems-Navy (ADSN) Strategic Business Unit at BEL's Bangalore Complex before his elevation.

	<p>श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव, प्रौद्योगिकी स्नातक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने अगस्त 1986 में बीईएल में कार्यग्रहण किया और उन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में विनिर्माण, परियोजना प्रबंधन, गुणता प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, डिजाइन और विकास और उत्पाद समर्थन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 36 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उन्हें रक्षा कारोबार की अच्छी समझ है और वे संबंधित प्रक्रियाओं जैसे विनिर्माण, उपकरणों का परीक्षण और मूल्यांकन, ग्राहक निरीक्षण और मंजूरी और बिक्री पश्चात् सेवा और समर्थन से सुपरिचित हैं।</p> <p>वरिष्ठ प्रबंधन के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए बीईएल के साथ अपनी लंबी संबद्धता के दौरान श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव ने रेडियो और डाटा उपकरण, सैन्य और दूरसंचार स्विचिंग उपकरण, असैनिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए सी4आई सिस्टम, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए रेडार, नौसेना के लिए सोनार, फायर कंट्रोल प्रणाली और संचार प्रणाली, नौसेनिक जहाजों के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल परियोजना आदि के क्षेत्रों में निर्वहनीय कारोबारी विकास और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।</p>	<p>Mr Bhanu Prakash Srivastava holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical Engineering) and Master of Business Administration. He joined BEL in August 1986 and in a career spanning 36 years gained rich experience in diverse functions such as Manufacturing, Project Management, Quality Management, Materials Management, Design & Development and Product Support. He has a good understanding of the Defence business and is well versed in related processes such as Manufacturing, Trial & Evaluation of equipment, Customer Inspection and Clearance, and After Sales Service & Support.</p> <p>Mr Bhanu Prakash Srivastava, during his long association with BEL in various senior Management positions, has made major contributions towards sustained business growth and profitability in the areas of Radio & Data equipment, Military and Telecom Switching Equipment, C4I System for Civil & Military applications, Radars for Army, Air Force and Navy, Sonars, Fire Control Systems & Communication systems for Navy, Surface-to-Air Missile project for Naval Ships, etc.</p>
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 11 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।	Terms and conditions of appointment As per the Resolution at Item No.11 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कुछ नहीं	Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se None.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं	Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies) Nil.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies Nil.

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	1,263.
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, जिसमें वे शामिल होने के लिए पात्र हैं।
नाम और डीआईएन	डॉ. बिनॉय कुमार दास (डीआईएन-09660260)
जन्म तिथि	22 अप्रैल 1966.
मंडल में नियुक्ति की तारीख	04 जुलाई 2022.
शैक्षिक योग्यता	बी.टेक., एम.टेक और पीएचडी
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ. बी के दास, उत्कृष्ट वैज्ञानिक को 29 अप्रैल 2022 को महानिदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली) के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह 2015 से 2020 तक निदेशक, आईटीआर और उसके बाद निदेशक, आईआरडीई थे। बीच में वे अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में निदेशक, डीईएल थे। वह 33 वर्षों तक भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग थे और उन्होंने विभिन्न अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने टेस्ट रेंज का नेतृत्व किया है और इसे इंस्ट्रुमेंट किया है, जो दुनिया में सबसे अच्छा और व्यस्ततम बन गया है। उन्होंने देश के लिए स्वदेशी प्रणालियों की पूरी क्षमता रखने के लिए टेस्ट रेंज टेक्नोलॉजी को रूपांतरित किया। ईओटीएस, रडार सिस्टम, लॉन्ग रेंज टेलीमेट्री सिस्टम, फेज एरे और ड्रोन आधारित टेलीमेट्री सिस्टम, टेलीकॉम सिस्टम और मल्टीटागेट ट्रैकिंग सिस्टम की संख्या के साथ-साथ मिशन प्रबंधन के लिए स्वचालित सिस्टम बनाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्वदेशी विकास उनके सक्षम नेतृत्व में हासिल किया गया है। IRDE में, उनके नेतृत्व में वर्ष 2021 में इलेक्ट्रो-ऑप्टिक मस्त, LEOP, CAMOP, AGMS और कई अन्य प्रणालियों जैसे 21 अत्याधुनिक उत्पादों का उत्पादन किया गया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के लिए विभिन्न

Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	1,263.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22.	No meeting held during the financial year 2021-22 for which he is eligible to attend.
Name and DIN	Dr Binoy Kumar Das (DIN:09660260).
Date of Birth	22 April 1966.
Date of first Appointment on the Board	04 July 2022.
Qualification	B.Tech, M.Tech & Ph.D.
Expertise in specific function area	Dr Binoy Kumar Das, Outstanding Scientist has been appointed as Director General (Electronics & Communication System) on 29 th April 2022. Prior to this, he was Director, ITR from 2015 to 2020 followed by Director, IRDE. In-between he was Director, DEAL as additional responsibility. He was an integral part of Indian Missile Program for 33 years and worked relentlessly towards Test and Evaluation of various state of the art Missile Systems. He has spearheaded Test Range and instrumented it, which became the Best and Busiest in the world. He has transformed the Test Range Technology for the country to have entire capability of indigenous Systems. Indigenous development of EOTS, Radar Systems, Long Range Telemetry System, Phased array & drone based Telemetry system, Telecommand System and number of multi-target tracking Systems along with various processes and system software creating automated system for mission management has been achieved under his able leadership. In IRDE, under his leadership 21 state of the art products could be realized in the year 2021

	<p>बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया है। उन्होंने दोनों प्रयोगशालाओं में राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न परियोजनाओं का नेतृत्व किया है और इन दोनों प्रयोगशालाओं के लिए दृष्टिकोण को परिभाषित किया है। उनके गतिशील नेतृत्व में इन दोनों प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व के 22 उत्पादों को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रौद्योगिकी में स्नातक, ओडिशा से एम. टेक और आईआईटी, खड़गपुर से पीएच.डी., डॉ. दास बेस्ट ग्रेजुएट गोल्ड मेडल के धारक और आईआईटी के टॉपर हैं। उनकी पीएच.डी. थीसिस को यूएसए द्वारा सर्वश्रेष्ठ थीसिस से सम्मानित किया गया था। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।</p>
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	एजीएम की सूचना के मद संख्या 12 के संकल्प के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाए।
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटन	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या.	कोई नहीं
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं

	<p>like Electro-optic Mast, LEOP, CAMOP, AGMS and many more systems. During this period, he has created various infrastructure and state of the art Test Facilities for Electro Optical Systems. He has led various projects of national importance in both the Labs and defined the vision for both of these laboratories. Under his dynamic leadership these two laboratories have set target for year 2022 to realize 22 products of international importance. B.Tech. from Burla Engineering College, Odisha, M.Tech & Ph.D. from IIT, Kharagpur, Dr. Das is the holder of Best Graduate Gold Medal and Topper of IIT. His Ph.D. thesis was awarded the Best Thesis by USA. He has received a number of National and International Awards.</p>
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.12 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, जिसके लिए वे भाग लेने के पात्र हैं।	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2021-22	No meeting held during the financial year 2021-22 for which he is eligible to attend.
--	---	---	---

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

**By order of the Board
For Bharat Electronics Limited**

बेंगलूरु
4 अगस्त 2022

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

**Bengaluru
4 August 2022**

**S Sreenivas
Company Secretary**